पारिवारिक न्यायालय संख्या – 1, बीकानेर

वाद संख्या 355/20

शिवांगी पाठक आदि बनाम रजनीश पाठक

अप्रार्थी रजनीश पाठक द्वारा सीआरपीसी की धारा 314 के तहत प्रस्तुत

लिखित बहस

श्रीमान जी,

माननीय न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि ,

a. क्या प्रथम दृष्ट्या प्रार्थिया के पास अपना एवं बच्चों का भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन और पैसा हैं या नहीं?
b. क्या प्रथम दृष्ट्या प्रार्थिया अपना एवं बच्चों का भरण पोषण के लिए सक्षम या नहीं?
c. क्या प्रथम दृष्ट्या प्रार्थिया ने अप्रार्थी से बिना किसी युक्ति युक्त कारण उसे त्याग रखा हैं/ प्रार्थिया अ.पनी मर्जी से अलग रह रही हैं ?
d. क्या प्रथम दृष्ट्या प्रार्थिया माननीय न्यायालय के समक्ष सही एवं सम्पूर्ण जानकारी/तथ्यों और क्लीन-हैंड्स (Clean-Hands) के साथ प्रस्तुत हुई हैं या नहीं?
e. प्रार्थिया एवं बच्चों की आवश्कता पूर्ति के लिए मासिक कितने रुपये की ज़रूरत हैं तथा किसका योगदान क्या रहेगा?

अप्रार्थी की ओर से लिखित बहस पेश कर निम्नलिखित निवेदन है कि :

1. प्रार्थीया के नाम विभिन्न बैंक खातों, पोस्ट ऑफिस खातों में करीब **1,50,00,000 (रुपए डेढ़ करोड़)** से ज्यादा की जमापूंजी है, प्रार्थीया ने अपने भरण पोषण के आवेदन एवं शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है की वह अपना और बच्चों का भरणपोषण करने में असमर्थ हैं। प्रार्थीया के अलग-2 बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के जमा ,सावधि एवं चालू खातों की जानकारी निम्नलिखित है।

Bank	**Saving Account Number**	**Tentative Balance**	**As on Date**
HDFC Bank, Bikaner	59100006021981*	**19,30,482**	01-08-2021
HDFC Bank, Delhi	50100042831182	**18,89,912**	12-10-2020
SBI, Bikaner (PPF)	34575302823	**15,26,141**	09-04-2024
Axis Bank, Bikaner	919010053811970*	**12,16,978**	01-01-2023
Axis Bank, Delhi (Current)	915020044064847	**11,40,178**	12-09-2020
SBI, Bikaner	61000423884	**9,79,667**	01-07-2020
PNB, Bikaner	57000101217057	**8,98,330**	01-07-2020
Axis Bank, Delhi (Joint)	915010002650746	**1,95,225**	01-01-2023
UCO Bank, Bikaner	20410110035405	1,73,464	
Bank of Baroda, Bikaner	68380100002833	21,662	13-06-2022
SBI, JNV Bikaner	40441664495		

Bank/Post Office	Fixed Deposit Account Numbers	Amount
Indian Post Office, Bikaner	1. 2083907498 2. 2083907504 3. 2083907511 4. 2083907719 5. 2083907726	**40,00,000**
Axis Bank	1. 92004002309604 2. 915040030534022 3. 915040030534653 4. 918040089984837 5. 915040047051312	**4,62,322** 67,781 68,930
HDFC Bank, Bikaner	1. 50300588539910** 2. 50300815544483**	**5,00,000** **5,00,000**
PNB, Bikaner	1. 769200PU00018664 2. 005700PR00017893 3. 769200D100001433 4. 0057000101217057	**10,20,255** 15,869 **10,47,084** 54,955
SBI, Bikaner	1. 39513757709 2. 61207835114 3. 61163071346 4. 61161199063 5. 39673919815 6. 61163071277	**10,13,355** **2,39,614** 19,932 56,891 1,02,861 5,668
Bank of Baroda, Bikaner	1. 68380300001088** 2. 68380300000832** 3. 68380100002833**	**5000 Per month** **5000 Per month** **5000 Per month**
SSA-Ramya Pathak, Post Office, Delhi	1. 7765252381	**15,63,219**

*** अप्रार्थी से पृथक होने के बाद खोला गया खाता**

**** भरण पोषण के प्रार्थना पत्र के बाद खोला गया खाता**

प्रार्थीया ने बीकानेर में रहते हुए भरण-पोषण का मुकदमा करने से पूर्व अपने दिल्ली स्थित बैंको से करीब ₹30,00,000 (**रुपए तीस लाख**) अपने माँ और भाई के नाम पर ट्रांसफर कर दिए और दिल्ली स्थित बैंको को खाली कर दिया है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी के साथ दिल्ली स्थित संयुक्त बैंक खाते को बीकानेर ब्रांच से गलत तरीके से फ्रीज करवा दिए है। (**Annexure-'1'**)

प्रार्थीया द्वारा भरण-पोषण का मुकदमा करने के बाद भी कई बैंको में अपनी मासिक बचत से लाखो रुपये **फिक्स्ड डिपाजिट (FD) , आवर्ती जमा (Recurring Deposit)** में जमा करवाये है। जब प्रार्थीया के पास इतना पैसा है कि वह अपने माँ और भाई को कुल तीस लाख रुपये दान/गिफ़्ट कर सकती है और पिछले चार सालों में नये-2 अकाउंटस खुलाकर अपनी बचत से लाखों रुपये जमा करवा रही है , ऐसे में अंतिरम भरण-पोषण का कोई उचित्य नहीं रह जाता। प्रार्थीया पूर्ण रूप से सक्षम है।

अप्रार्थी की जानकारी के अनुसार प्रार्थीया के पास निम्नलिखित चल-अचल सम्पति है, जो की समस्त प्रार्थीया के कब्ज़े में ही हैं :-

Assets	Tentative Valuation
Properties 1. रायसर गांव में कृषि योग्य भूमि है (**खसरा नंबर-462/215, गांव-रायसर, तहसील जिला बीकानेर**) 2. दिल्ली में 3 बेड रूम सैट का फ्लैट है 3. बीकानेर.व्यापार नगर में दो प्लॉट (संयुक्त)	**1,00,00,000 (एक करोड़)** **1,00,00,000 (एक करोड़)** **1,00,00,000 (एक करोड़)**
Vehicals 1. **अप्रैल 2022** को **नया होंडा** ऐक्टिवा स्कूटर खरीदा है** 2. अप्रार्थी से प्राप्त कार **RJ-07-CA-0105** है	**93,000 (तिरानवे हजार)** **1,00,000 (एक लाख)**
Insurance **1.** बैंक से एकमुश्त भुगतान की गई जीवन बीमा पॉलिसी है **2.** LIC से **Money-Back** जीवन बीमा पॉलिसी है **3.** बीकानेर बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (**PMJJBY**) **4.** बीकानेर बैंक से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (**PMSBY**) पॉलिसी है	**Coverage, 50,00,000 (पचास लाख)** **Coverage, 5,00,000 (पांच लाख)** **Coverage, 2,00,000 (दो लाख)** **Coverage, 2,00,000 (दो लाख)**
Gold 1. प्रार्थिनी के पास बीकानेर लॉकर में अप्रार्थी से पृथक होने से पहले से सोना/ चांदी 2. दिल्ली स्थित संयुक्त लॉकर से प्राप्त सोना/ चांदी	**करीब 100 तोला** **करीब 70 तोला**

The Rajasthan High Court : Family court has rejected interim maintenance because wife has sufficient source to maintain herself.
*"....That the appellant wife is having enough source to maintain herself, more so, the family court after considering the evidence held that there is sufficient evidence to prove that appellant wife is earning more money..."[**AIRONLINE 2018 RAJ 703, Jyoti Alias Beni Banshilal Tank Vs. Sushil Kumar**]"*

अतः प्रथम दृष्ट्या यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थिया के पास अपना एवं बच्चों का आजीवन भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन और पैसा हैं इसलिए कोई भी भरण पोषण की अधिकारणी नहीं हैं

2. प्रार्थीया उच्च शिक्षित (**एमएससी- माइक्रोबायोलॉजी, बी. एड.**) कान्वेंट एडुकेटेड, पेशेवर हैं, उनकी प्राथमिकताएं पैसा और अपनी स्वतंत्रता हैं, उसके पास कई कौशल हैं और वह विभिन्न संसाधनों से काफी अच्छी कमाई कर रही है.

विवाह से पहले शिक्षा

B.Sc. (Botany, Zoology, Chemistry), 75% Marks	M.D.S University
M.Sc. (Mirco-Biology), 77% Marks	University of Rajasthan

Worked with Department of Veterinary Microbiology, College of Veterinary & Animal Science, Bikaner
Worked on project with Department of Microbiology, G.N.D University, Amritsar.

<u>विवाह से बाद शिक्षा</u>

M.B.A.	Madurai Kamraj University
B.Ed.	Singhania University
Certification in International English Language Testing System (**IELTS**)	
Various other computer educations from Pvt. Institutes	
Worked with Mother's Pride School, Delhi	

(**Annexure-'2'**)

पिछले कई सालों से प्रार्थिनी स्वयं **फर्म श्रीराम इन्टरप्राईजेज की प्रोप्रिएटर** है जिसका दिल्ली **वैट(D-VAT) रजिस्ट्रेशन नं 07437169452** हैं तथा **GSTIN रजिस्ट्रेशन** नं **07CTWPP9108D1Z6** हैं जिसमे वह व्यापार करती रही है और लाखों रुपए कमा रही है। (**Annexure-'3'**)

वर्तमान में बच्चो को पढ़ाने और ऑनलाइन कंसल्टिंग का काम कर रही है, कई तरह के इंग्लिश स्पीकिंग और प्रोफेशनल कोर्सेस अपने घर 1-D-65 JNV Colony Bikaner में **कोचिंग सेंटर** खोलकर चला रही है । इंग्लिश स्पीकिंग के लिए **प्रति छात्र 2500-4000** रुपए फीस ले रही है, अप्रार्थी की जानकारी के अनुसार **2000-4000** रुपए प्रति स्कूली बच्चों से ट्यूशन के लिए फीस ले रही है और प्रतिदिन अलग अलग बैच से **कुल 100** से ज्यादा छात्रों को पढ़ाती हैं। इस हिसाब से लगभग दो-तीन लाख रुपये ट्शन एंड कोचिंग से कमा रही हैं, प्रार्थीया के द्वारा दिए गए बैंक्स स्टेटमेंट में पे टी एम/यूपीआई से फीस प्राप्ति की कुछ एंट्रीज स्पष्ट रूप से अंकित है (**Annexure-'4'**)

इसके अलावा वीजा के लिए आवश्यक IELTS/CAEL/CELPIP English की परीक्षा की तैयारी करवाती है। विदेश में पढ़ने और स्थाई वास के लिए. भेजने और कसंल्टिंग का काम कर रही है । विदेश भेजने के लिए हर व्यक्ति से लगभग एक लाख रुपये वीजा प्रोसेसिंग फीस, इंग्लिश योग्यता टेस्ट की फीस के लिए चार्ज करती हैं। इस संबंध में **दैनिक भास्कर अखबार** (दिनांक-**24.03.2022**) और सोशल मीडिया पर प्रार्थीया का प्रचार **मुख्य अध्यपिका** के रूप में भी किया जा रहा है। (**Annexure-'5'**)

प्रार्थीया के पास रायसर गांव में कृषि योग्य भूमि है (**खसरा नंबर-462/215, गांव-रायसर, तहसील जिला बीकानेर)**, कृषि भूमि से प्राप्त आय प्रार्थीया को ही प्राप्त होती हैं।

प्रार्थीया अपनी मासिक बचत से कुल **10,000 (5000-5000 की दो**) रुपये **प्रति मासिक** अपने बैंक ऑफ़ बड़ोदरा , बीकानेर के रेकरिंग डपोइसट्स (RD) अकाउंट में जमा कराती हैं, इसके आलावा विभिन्न बैंको एवं पोस्ट-ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आवर्ती जमा अकाउंटस हैं जिसका उल्लेख प्रार्थीया के बैंक स्टेटमेंट और Income-Tax डिपार्टमेंट के एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट(AIS) के रिकार्ड्स में दर्ज हैं। (**Annexure-'6'**)

पिछले कई वर्षों से लेकर भरण पोषण का मुक़दमा करने के बाद तक प्रार्थिनी सीलिकोन वेली नोयडा का मकान का **किराया रूपये 14,500** स्वय प्राप्त कर रहीं थी तथा रेन्ट एग्रीमेंन्ट भी प्रार्थिनी के नाम से बना हुआ है (**Annexure-'7'**)

प्रार्थीया के अलग-2 बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के जमा राशि से लाखों रूपए का ब्याज प्राप्त होता हैं प्रार्थीया अपने ITR में इन ब्याज से प्राप्त आय को सही से सांझा नहीं करके हर वर्ष रिफंड प्राप्त कर रहीं हैं। ITR अपनी सही इनकम छुपाने के लिए समस्त लेन-देन नकद में कर रही है (**Annexure-'8'**)

इस प्रकार प्रार्थीया विभिन्न स्रोत्तों से प्रतिमाह **तीन से चार लाख रुपये** (**3-4** लाख**)** से अधिक कमाई करती है।

Assessment Year	Interest Amount Claimed in ITR (only bank interest without including post-office interest)
2023-24	2,83,010
2022-23	2,82,444
2021-22	1,24,857
2020-21	1,59,931

The Delhi High Court : Family court has declined interim maintenance of wife based on her qualification and sufficient means to maintain herself.
*"[**AIRONLINE 2016 RAJ 10, Rupali Gupra Vs. Rajat Gupta**]"*

<u>अतः प्रथम दृष्ट्या यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थिया अपना एवं बच्चों का भरण पोषण के लिए पूर्णतया सक्षम हैं, इसलिए कोई भी भरण पोषण की अधिकारणी नहीं हैं</u>

3. यह की प्रार्थिनी के स्वयं के नाम से दिल्ली में रिहासी फ्लैट है जिसमे वह अप्रार्थी और बच्चो के साथ निवास करती थी। प्रार्थिनी अपने घर आने को सवतंत्र है परन्तु वह दिल्ली के मकान में ना रहकर, बीकानेर रहना चाहती है। प्रार्थिनी ने भरण पोषण प्राप्त करने और पैसो के लालच वश अपने माता पिता के बहकावे में आकर बिना किसी कारण के **स्वैच्छा से अप्रार्थी का परित्याग कर रखा** है प्रार्थिनी ने योजना बद्ध तरीके से बच्चों का एडमीशन अप्रार्थी को बिना बताये बीकानेर में आर.एस.वी. स्कूल में करवा लिया तथा प्रार्थिनी ने अपना आधार कार्ड माह सितम्बर में ही बीकानेर के पत्ते पर बनवा लिया तथा बैंक खातों को भी माह अगस्त से सितम्बर में बीकानेर में ट्रान्सफर करवा लिया ।
   अप्रार्थी ने ऑनलाइन आर्डर करके बच्चो के लिए कपड़े, खाने-पीने, किताबे और खिलोने बीकानेर पत्ते पर भेजे परन्तु प्रार्थिनी द्वारा हर बार उन वस्तुओ व ऑर्डर्स को लेने से मना करते हुए वापिस कर दिया गया। बच्चो को माँ-बाप दोनों का प्यार साथ चाहिए ना की पैसा। जबकि प्रार्थिनी सिर्फ बच्चो के नाम पर पैसा लेना चाहती है ना कि जरुरत की मांग। अप्रार्थी को ना तो बच्चो से मिलाने देती है और ना ही फोन पर बात करने देती है। मेरी न्यायालय के समक्ष यह निवेदन है कि अपने आदेश में अप्रार्थी को बाध्य किया जाना चाहिए की वह बच्चो से मिलाने और फोन पर बात करने का मना ना कर सके।
   महिला पुलिस थाना में मिडियेशन के दौरान अप्रार्थी ने प्रार्थिनी को दिल्ली में बच्चो के साथ रहने को कहा, दिल्ली रहने पर भरण पोषण देने का आश्वासन भी दिया था जिसको

प्रार्थिनी ने इंकार कर दिया और प्रॉपर्टी उसके नाम करने की मांग रखी, प्रार्थिनी को घर नहीं बसना हैं उसका उद्देश्य महिलावादी समाजिक कानूनों का दुरुप्रयोग करके अप्रार्थी से अतिरिक्त पैसा और प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी हैं। । इसलिए प्रार्थिनी सेक्शन 125(4) सीआरपीसी के अंतर्गत भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं है। (**Annexure-'9'**)

प्रार्थिनी को घर वापिसी का नोटिस **सेक्शन 9 सीआरपीसी** के अंतर्गत भी भेजा था और बच्चों सहित घर वापिस आने के लिए भी बार-2 कहा गया था, अप्रार्थी के पिता भी प्रार्थिनी को घर वापिस लेने के लिए आए परन्तु प्रार्थिनी ने घर वापिस आने की बजाय अप्रार्थी और उसके परिवार पर झूठे मुकदमे कर दिए। (**Annexure-'10'**)

The Rajasthan High Court : Family court has rejected maintenance because wife is living with her parents of her own accord.

*"....Goma Devi has not been able to establish that she had been neglected by her husband. As a matter of fact she is living with her parents of her own accord. She is, therefore, not entitled for maintenance allowance for herself..."[**HC-RAJ, 1999 CriLJ 1789, Bheekha Ram vs Goma Devi and Ors**]"*

<u>अतः प्रथम दृष्ट्या यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थिया बिना किसी ठोस कारण अपनी मर्जी से अलग रह रही हैं। प्रार्थिया ने अप्रार्थी का परित्याग कर रखा हैं इसलिए कोई भी भरण पोषण की अधिकारणी नहीं हैं</u>

4. यह की प्रार्थीया पूर्णतया अपना एवं बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम होते हुए भी माननीय न्यायालय में गलत और बिल्कुल झूठे तथ्यों के आधार पर मुक़दमा किया है। प्रार्थीया ने न्यायिक कार्यवाही के दौरान जानबूझकर और सचेत रूप से हलफनामे और सत्यापन खंड पर झूठी जानकारी प्रस्तुत की है, जिससे वह भरण-पोषण के कानूनों से अनुचित लाभ प्राप्त कर सके। प्रार्थीया ने अपने आय शपथ-पत्र में अपनी शैक्षिक योग्यता , कृषि भूमि से प्राप्त आय, ट्यूशन से प्राप्त आय, वीज़ा कंसल्टिंग से प्राप्त आय और बैंको/डाकखाने में जमा राशि राशि तथा उनसे प्राप्त ब्याज की आय प्राप्त को अपने शपथ पत्र में छुपाए हैं। माननीय न्यायालय में जिन बड़े जमा वाले बैंको से अपनी अनभिघ्ता जाहिर की, जबकि इन्ही बैंकों से तीस लाख रूपये अपने माँ और भाई को गिफ्ट कर दिए। अप्रार्थी द्वारा **जवाब आपत्ति पत्र, आय शपथ-पत्र आपत्ति पत्र और परिप्रश्न पूछताछ(Interrogatories)** पेश किया जा चुका है, प्रार्थीया को अपनी भूल सुधारने का उचित और पर्याप्त मौका दिया जा चुका है, परन्तु प्रार्थीया ने ना तो अभी तक अपनी सही जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की और ना ही इन प्रार्थना पत्रों का प्रत्युतर ही दिया हैं। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि लंबित आवेदनो पर अंतरिम भरण-पोषण के निर्धारण से पूर्व निर्णय दें।

   अतः अप्रार्थी द्वारा धारा 340 का मुकदमा(**Cr. Misc. Cases/638/2023**) दर्ज करवाया है जिसमें प्रार्थीया के झूठ के सम्बन्दित तथ्य और दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये हैं

   स्थापित कानून के अनुसार, यदि कोई वादी झूठे तथ्यों और uncleaned-hands से कोर्ट में परिवाद देता हैं तो उसे न्यायालय से किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं मिलता है।

   (i) Courts have, over the centuries, frowned upon litigants who, with intent to deceive and mislead the Courts, initiated proceedings without full disclosure of facts and came to the courts with 'unclean hands'. Courts have held that such litigants are neither

entitled to be heard on the merits of the case nor entitled to any relief.(SC CRIMINAL APPEAL NO.1406 OF 2012, ***Order date: 18/12/2012****,* Kishore Samrite V/s State of U.P. & Ors.*)*

माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त लंबित मुक़दमे पर अंतरिम भरण-पोषण के निर्धारण से पूर्व निर्णय दें। *The Allahabad High Court directed to decide the application filed by revisionist under* ***Section 340 Cr.P.C.*** *which was registered as Misc. Application No. 473 of 2022 within a period of three months from the date of production of certified copy of this order, and* ***thereafter the application filed by opposite party no.2 under Section 125 Cr.P.C****. expeditiously, (Neutral Citation No.-2023:AHC: 238266,* ***Order date: 15/12/2023****, Amit Bajpai V/s State of U.P.)*

The Allahabad High Court directed to quashed 125 Cr.P.C. judgement and the matter is liable to be remanded back for afresh decision once 340 Cr.P.C. decide. judgment in the proceedings under Section 125, Cr.P.C. cannot be said to be a good judgment as this judgment is based on that evidence which has been held to be forged by that very court which had decided the proceedings under Section 125, Cr.P.C. (Order date: 22/02/2008, Satendra Kumar Gupta Vs State of U.P.)

अतः पूणर्तया यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थिया न्यायालय के समक्ष सही एवं सम्पूर्ण जानकारी/तथ्यों और क्लीन-हैंड्स (Clean-Hands) के साथ प्रस्तुत नहीं हुई हैं। इसलिए कोई भी भरण पोषण की अधिकारणी नहीं हैं

5. प्रार्थीया ने अपने भरण पोषण के आवेदन में अपने और बच्चों के जीवन व्यापन के लिए कुल **साढ़े तीन लाख (3,50,000)** रुपये मांगे है, जो की प्रथम दृष्ट्या ही **malicious intent** दर्शाते है, प्रार्थीया बीकानेर शहर में अपने माता-पिता के साथ रहती हैं। प्रार्थीया के पिता सेवा निवृत अधिकारी है जिन्हें पेन्शन मिलती है इसके अलावा वे शेयर मार्केट का व्यवसाय करते हैं जो फाईनेन्स कन्सलटेन्ट उन्होंने **कपूरिया फाईनेन्स कन्सलटेन्सी** के नाम से फर्म बना रखी है जिससे भी उन्हें सालाना लाखों रूपये की आय होती है इसके अलावा प्रार्थिनी की **माता एल.आई.सी ऐजेन्ट** है जो स्वंय कमाती है। परिवार का निजी मंदिर है जिसकी काफी आय है व्यास कॉलोनी सेक्टर-1 में 5 कमरा का बांग्ला है बीकानेर और आस-पास करोड़ो की सम्पति हैं।

   प्रार्थीया ने अपने ना तो भरण पोषण के आवेदन के साथ ना ही आपने शपथ-पत्र के साथ कोई भी व्यय का विवरण दिया हैं जिससे यह स्पष्ट हो की साढ़े तीन लाख दिये जाये। प्रार्थीया और दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से है , शादी के पूर्व और शादी के उपरांत भी वैवाहिक जीवन में साधारण रहा हैं।

   प्रार्थीया ने अप्रार्थी से अलग रहते (पिछले चार सालों में) हुए बच्चों या स्वंय के ख़र्च के लिए बैंको में जमा राशि में कुछ भी पैसा नहीं निकला हैं इस से यह सिद्व होता हैं कि प्रार्थीया को बच्चों और स्वंय के निवाई के लिए किसी अन्य सपोर्ट की जरुरत नहीं हैं। प्रार्थीया के पास काफी नकद इनकम का पैसा पड़ा है और नकद में ही कमा भी रही हैं। इस हिसाब से प्रार्थीया का अपना या बच्चों के निर्बाह के लिए कोई अधिक खर्च नहीं हो रहा है।

बच्चो के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेटी रम्या के नाम पोस्ट-ऑफिस में '**सुकन्या बचत योजना**' और शिवांगी के **पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड** (PPF) में करीब 15-15 लाख रूपये जमा है (**Annexure-'11'**)

प्रार्थिनी एवम बच्चो के हेल्थ सम्बन्धी सुरक्षा के लिए अपार्थी ने प्रार्थिनी एवम बच्चो के नाम पर के पास **प्राइवेट हेल्थ इन्शुरन्स** और अपनी कंपनी से कॉपोरेट हेल्थ इन्शुरन्स लिया हुआ है जिससे प्रार्थिनी एवम बच्चो अपना इलाज करवा सकते है।(**Annexure-'12'**)

प्रार्थिनी के बीकानेर आने के बाद भी अप्रार्थी अपने दोनों बच्चो की दिल्ली स्कूल की फीस जमा करवाता रहा है परन्तु प्रार्थिनी ने बच्चों को बीकानेर अपनी मर्जी से दाखिल करवा दिया है , प्रार्थिनी पूर्ण रूप से सक्षम है अच्छा कमा रही है और अप्रार्थी से पूर्व में प्राप्त पैसों से अच्छे से जीवन व्यापन कर सकती है , अतः प्रार्थीया को कोई अतिरिक्त सहयोग की आवकश्यता नहीं हैं

अप्रार्थी को अपने रोज़मरा के कार्यो के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है , अप्रार्थी का भोजन, कपड़ा, चिकित्सा / दवा खर्च, बीमा-स्वयं परिवार और माता-पिता, बिजली बिल, यात्रा व्यय, फ्लैट- रखरखाव और बिजली बिल, फरीदाबाद घर-रखरखाव खर्च, घर का किराया, इंटरनेट और मोबाइल रिचार्ज बिल, सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियां, कानूनी मामले व्यय-यात्रा होटल अधिवक्ता शुल्क, घरेलू सहायता व्यय, अन्य खर्च में काफी खर्च हो जाता हैं

The Supreme Court of India : Wife also obliged to contribute in the maintenance of the children.
*"She is, therefore, also obliged to contribute in the maintenance of the children. ....that a sum of Rs. 3,000 per month for each of the child would be sufficient to maintain him, which shall be borne by both the parents in the proportion of 2:1..."[**SC, Appeal(Civil) 2462 of 1999, Padmja Sharma vs Ratan Lal Sharma**]"*

6. यदि माननीय न्यायालय भरण पोषण का आदेश देती है तो आदेश की तारीख से दिलाए जाए, चूंकि प्रार्थीया जानभूझ कर मुकदमे को विलम्बित कर रहीं है, जो की ऑर्डर शीट से स्पष्ट है , इस सम्बध में माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश इस प्रकार है।

   S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 3801/2022, Order date: 07/07/2022 (Rajasthan High Court, Ordered maintenance from date of order, Ishwar Prakash V/s Simple Sharma)

   *The Allahabad High Court has observed that the Apex Court's ruling in the case of **Rajnesh v. Neha and another**, has not completely blocked the discretionary power of the trial court in **granting maintenance from the date of order** in the case there are circumstances and reasons for doing the same (*Neutral Citation No.-2023:AHC:100373**, Order date: 10/05/2023**, **Smt. Ranjeeta @ Ravita V/s State of U.P.**)

अतः लिखित बहस पेश कर न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीया शिवांगी पाठक, उच्च शिक्षित , व्यापारिक महिला है वह फर्म श्रीराम इन्टरप्राईजेज की प्रोप्रिएटर है और उसके पास बैंकों/पोस्ट ऑफिस खातों में करीब डेढ़ करोड़ रूपए जमा हैं। प्रार्थीया इंग्लिश स्पीकिंग, प्रोफेशनल कोर्सेस, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के अलावा विदेश भेजने और वीसा प्रोसेसिंग का काम करती हैं। प्रार्थीया अपना एवं बच्चों का आजीवन भरण-पोषण करने में पूर्णतया सक्षम है। इसलिए प्रार्थीया के अंतरिम भरण-पोषण के प्रार्थना-पत्र को ख़ारिज फ़रमाया जाये।

दिनांक : / / 2024

अप्रार्थी

रजनीश पाठक

पुत्र श्रीराधेश्याम पाठक

निवासी-दिल्ली

पारिवारिक न्यायालय संख्या – 1, बीकानेर

वाद संख्या 355/20

शिवांगी पाठक आदि बनाम रजनीश पाठक

अप्रार्थी रजनीश पाठक द्वारा धारा 294 सीआरपीसी के तहत

प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण	अनुलग्नक
1.	माँ और भाई के नाम पर ट्रांसफर किये गये 30 लाख रुपये का बैंक स्टेटमेंट, LIC Policy for Shivangi and Ramya	Annexure-1
2.	शैक्षिक और प्रशिक्षण, कार्य/अनुभव प्रमाण-पत्र	Annexure-2
3.	प्रार्थिनी के **फर्म श्रीराम इन्टरप्राईजेज की D-VAT and GST Registration** प्रमाण-पत्र	Annexure-3
4.	छात्रों को टूशन पढ़ाते की फोटोज	Annexure-4
5.	**दैनिक भास्कर अखबार** (दिनांक-**24.03.2022**) में मुख्य अध्यपिका के रूप में प्रचार	Annexure-5
6.	प्रार्थीया के विभिन्न बैंको में फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आवर्ती जमा अकाउंटस से पिछले तीन सालों के **ब्याज एवं खातों का विवरण**, **Income Tax Department-AIS certificates, Axis Bank Interest Certificate**	Annexure-6
7.	प्रार्थीया के रेन्ट एग्रीमेंन्ट, प्राप्त **किराया** रसीद	Annexure-7
8.	प्रार्थीया के पिछले कुछ सालों के ITRs	Annexure-8
9.	महिला पुलिस थाना में मिडियेशन का मध्यस्ता नोट	Annexure-9
10.	प्रार्थिनी को घर वापिसी का **सेक्शन 9 सीआरपीसी** नोटिस	Annexure-10
11.	रम्या के नाम पोस्ट-ऑफिस में '**सुकन्या बचत योजना**' और शिवांगी के **पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड** (PPF) Statement	Annexure-11
12.	हेल्थ इन्शुरन्स कार्ड एवं पॉलिसी डॉक्यूमेंट(वर्तमान और भूतकालीन)	Annexure-12